pleaders where Necessary अरसिक द्वार से अपराधा जी और से अपराधा जिस्सा से अपराधा उपिनिरीक्षक / सहायक MAGISTRA TE FIRS HEEL 15 अरस्यक्त / 中下一人 धारा 3.2 / C अंतर्गत Order or Proceeding आरक्षी जपनिशेक्षक, प्रधान आज 平0 / 6 2

प्रस्तुत आधिवक्ता 1 2 DE 100 राज्य निर्म मेगोरेण्डम/वकालतनामा भीतर प्रस्तुत 1 x 5d 中 2 अरि 35. समयावि के 54 543 55 क् थाना उपरिथत । अभियुक्त / अभियुक्तगण अभियुक्त आभियुक्तमणा (दिक्क) .....हारा 四 अभियोग पत्र/परिवाद 28 किया।

किया

3E101

8

अमियोग

विरम्द

15

अभियुवत / अभियुक्तगण

संबंध में अभिय पत्र प्रस्तुत निज्या

Kh

मन/परिवाद

任

अस्राध

गया।

ए०र्डा०पः ३ओ०

द्वारा

राज्य

अधिनियमके

शास 15 उपरोक्तानुसार दृष्टया अभियोग किये जाने जाने का आदेश किया जाता के विरुद्ध प्रथम गया। 855 858 July F. अधीन कार्यवाही किया / अभियुक्तगण अवलोकन विचार 百万五 अगियुक्त / अगियुक्तागण कं कि शारियक अगियार प्रकट हो रहे हैं। अने अभियुक्त अप्रचार्यार 12115-दस्तावेज में संज्ञान के विषय प्रस्तुत का पंजीरान 190-(1) द्राप्ति के अधोन 0 出 प्रकरण प्रकरण /परिवाद किया जाये। आध्यार.

記した अधीत प्रायान म शुल्म / अभियुवहारा 121 医 山地地 मिन्नाम मान्य जन्म मान्य

The state of the s

गाप्राप्त कम नामनी प्रमास (Vi)\* FPPAIR HAIRE विहित उपरांत 49 राजसात व्यतिकम साधारण न्यायालय त्रिक्त गया पावती पावती क्र उसके प्रतिपृक्ति किया अपराध 石 विचारण के पंजीबद्ध अर्थदण्ड कर 岩 प्रथक अपीलीय सुपुर्दगीनामा आभियुक्त घोषित प्रदान यथा ..मूल्यहीन खक्या आवश्यक 本 निर्णात दोषसिद्ध 包 दशा कर का परिणाम आपराधिक पंजी श्विदण्ड व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सु जाता है तथा अपील की दशा में माननीय आदेशों का पालन हो। अभियुक्त विचारणीय है। अत अभियुक्त / अभियुक्त 9 Judia ते हुए मुद्रांकित नित्य अन्तर विशिष अभियुक्तगण स्तीकारोतित को ध्यान में रखते हुए कराकर हरताहारित, दिनांकित, मुद्रांकि अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन द भम् अस्तर 5 ल Signat हेर्त वन् संपत्ति 29 ३६६८ अताः आमिलेख सचयन हेतु र प्रेषित किया जाये। दण्ड एवं की अवधि के दण्ड एव से दण्डित किया गया। समझाये को सजा रसीद विचारणीय 出 क स्तीकार किया। स्परी or proceeding with संपत्ति..... शृत्यों में लेखनद्ध कियां गया। अपराध स नि:शुल्क जावे। अभियुक्त / अर् अभियुक्त आभियुक्तगण प्रकरण अप्रोत्त शाहानियम के अधीन अस्तियम के अधीन सिसित आमिलेख को लौटाया जाये। काराबास भुगताया निर्णय की गया। स्तेच्छया जप्तसुदा 尔 प्रकरण में 'अर् गामिता अर्थदण्ड र अवसान तक अभिलेखागार जाये। दशा िर्गणियानुरार करना किया आदेशों अगियवन निया अवधि किये क 900